

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगठन पत्र संवत् २०१२ कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के पास होनी चाहिए।
संयोजक के पास होनी चाहिए।
संयोजक के पास होनी चाहिए।
संयोजक के पास होनी चाहिए।



उपनाम : कुलसचिव
दूरभाष : (०७५१) २३४१७५६
(०७५१) २४२२२२९
फैक्स : (०७५१) २३४१७६६

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक.एफ.सम्बद्धता-२०१२/५५२

दिनांक: २६/११/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संवत् २०१२ श्री वैद्यक जीवाजी ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय, ग्वालियर (०७५१-२५६८३५४) को सन् २०११-१२ के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधानों प्रदान करने के लिये गान्धीय कुलपति महोदय/रक्षायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिचय २७(१०) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है -


- (१) प्रो. विवेक वाफट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(०७५१-२४४२८२२)
- (२) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (३) डॉ. एस.डी. सिसौदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों ने अनुरोध है कि वे परिचय २७(१०) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरोहर तहसी, जॉइंट शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, शौचालय परिसर एवं पाठ्यक्रम/आवृत्तिका तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नए प्रमाण पत्र के साथ प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें।

रक्षायी समिति की बैठक दिनांक २६ सितम्बर २०१२ के पत्र क्रमांक ६० (अ-अ-२) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा ३० दिवस में महाविद्यालय का निरीक्षण कर १५ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) ४५ दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शाख के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


गठन के ४५ दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्धवर्षिक जमा वसूलकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे १५ दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय २७(११)(७) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत ज्योतिबा / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की नस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / बी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देना होगा।


कुलसचिव

प्रतिनिधि :-

१. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. प्राचार्य/आयुक्त, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संबंध स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
३. आयुक्त उच्च शिक्षा, रातपुरा रावन, भोपाल
४. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)